न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 76/2024 G.C.M.S. No. 2024/389 दर्ज दिनांक : 18.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. केसरसिंह पुत्र भीखसिंह, जाति राव, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर हाल ए–5, श्री लक्ष्मी बालाजी स्टेटस, अदालज, जिला गांधीनगर, गुजरात।
2. नरपतराम पुत्र मकनाराम, जाति कलबी, निवासी कूड़ा ध्येचा
3. भवसिंह पुत्र उका, जाति भाट, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
4. मंजुदेवी पुत्री गणेशा, जाति भाट, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
5. मदाराम पुत्र अणदाराम, जाति कलबी, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
6. शंकराराम पुत्र आदाराम, जाति कलबी, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
7. श्रवणसिंह पुत्र बाबूसिंह, जाति राव, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
8. सुरजदेवी पत्नि बाबूसिंह, जाति भाट, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
9. भावना पुत्री विक्रम, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सोवनदेवी
10. सवाईसिंह पुत्र विक्रम, जाति भाट, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. विक्रमसिंह पुत्र भूरसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
2. शंकरसिंह पुत्र उका, जाति भाट, निवासी नयाचेनपुरा, तहसील बागोडा, जिला जालोर।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, तहसील बागोडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2023 बअनवान विक्रमसिंह बनाम केसरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.08.2024

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्रवणसिंह सिसोदिया, श्री गर्वित दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

47/2023 बअनवान विक्रमसिंह बनाम केसरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 विक्रमसिंह ने अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम बागोडा के खसरा नंबर 387 रकबा 1.0700 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 388 रकबा 0.7700 हैक्टेर के संबंध मे प्रस्तुत कर स्वंय का 3/8 हिस्सा क्लेम करते हुए बंटवाडा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर आगामी पेशी दिनांक 17.10.2023 नियत की गई एव पेशी दिनांक 17.10.2023 की आर्डरशीट अनुसार सभी प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होना मानकर शामिल मिसल किया गया। इसके पश्चात् पेशी दिनांक 09.02.2024 को सभी प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर एकपक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 04 व 11 की ओर से दिनांक 14. 06.2024 को आर्डर 9 नियम 07 सी०पी०सी० का आवेदन पेश होना बताकर जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 28.06.2024 नियत की गई। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 27.08.2024 को वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के नोटिस तामिली विधिवत रूप से नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स भंवरसिंह, शंकरसिंह, नाबालिग भावनाकुमारी, नाबालिग सवाईसिंह के नोटिस पर एक ही जैसी रिपोर्ट है कि आसामी घर पर हाजिर मिला, नोटिस लेने व अंगूठा हस्ताक्षर करने से मना किया। उपरोक्त रिपोर्ट पर भीमाराम व चतराराम होमगार्ड के हस्ताक्षर है, लेकिन तामिल करवाने वाले तामिल कुनिन्दा की न तो रिपोर्ट है एवं न ही हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट को आधार पर मानकर प्रतिवादी/अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 04 व 11 नाबालिग है, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है। आदेश 22 नियम 03 सी०पी०सी० अनुसार नाबालिग के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित नहीं किये जा सकते है। नाबालिग की ओर से नियुक्त संरक्षक बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित होता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादी के आवेदन एवं खर्चे पर न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया जाता है, साथ ही नाबालिग के विरूद्ध वाद पेश करने पर आर्डर 32 सी०पी०सी० के तहत संरक्षक के लिए अनुमति का आवेदन पेश करना आज्ञापक है। उक्त प्रकरण में तो नाबालिग की ओर वाद मे दर्ज संरक्षक द्वारा एकपक्षीय मंजूरी का आवेदन पेश किया, जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभाजन तैयार करते समय अपीलांट्स को न तो किसी प्रकार नोटिस दिया गया एवं न ही अपीलांट्स को सूचित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जैर अपील निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोंडेन्ट अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी कर अपीलांट्स को बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन रूपयों मे कदापि नहीं हो पाएगा। अत जैर अपील निर्णय व डिक्री की पालना व प्रभाव स्थगित फरमाई जावे एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् रेस्पोंडेन्ट्स को पाबंद किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2024 को एकपक्षीय निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 18.09.2024 को अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र दिनांक 08.09.2023 को पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 09.02.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादपत्र में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 75/2024 बजनवान केसरसिंह बनाम विक्रमसिंह वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2025 द्वारा अपील मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। अतः प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में की गई समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा विभाजन प्रस्ताव व अंतिम डिक्री अपास्त हो चुकी हैं। क्योंकि उक्त समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही प्राथमिक डिक्री पर आधारित व उससे आच्छादित होती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर उपस्थित रहने के लिए दिनांक व समय का निर्धारण नहीं किया तथा न ही पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई नोटिस आदि जारी कर सूचित किया। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित हुए बिना महज रिकॉर्ड के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जबकि डिक्री से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर, उपस्थिति बाबत दिनांक व समय का निर्धारण करते हुए समस्त सहखातेदारान को सूचित करते हुए मौके पर भू–अभिलेख में दर्ज हिस्सा, भूमि की किस्म, पहुंच मार्ग एवं सिंचाई आदि के स्रोत यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए तथा जहां तक संभव हों काश्तकारान के कच्चे–पक्के निर्माण को ध्यान में रखते हुए तथा जोत को इकजाई रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाएगा तथा विभाजन के लिए प्रस्तावित उपविभाजित जोत का मौके पर सीमांकन कर नक्शे आदि तैयार कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा। जिसका हस्तगत प्रकरण में पूर्ण अभाव पाया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2023 बअनवान विक्रमसिंह बनाम केसरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.08.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत संबंधित तहसीलदार से उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 के विवेचन अनुरूप नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.02.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बागोडा में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner